

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 581]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 28, 2013/अग्रहायण 7, 1935

No. 581]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 28, 2013/AGRAHAYANA 7, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2013

सा.का.नि.755(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 27, धारा 41, धारा 50 और धारा 110, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों को उस तारीख से, जिसको भारत के उस राजपत्र जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

2. केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों की बाबत, ऐसे किन्हीं आक्षेपों और सुझावों पर, जो किसी व्यक्ति से पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त हों, विचार किया जाएगा;

3. आक्षेपों या सुझावों, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकेंगे;

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 2013 है।
(2) ये नियम 1 अक्टूबर, 2014 से प्रवृत्त होंगे ।
2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 96 के उप-नियम (9) में,—
(क) खंड (i) में "और एन 3" अभिव्यक्ति का लोप किया जाएगा;
(ख) खंड (ii), खंड (iii) और खंड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—
"(ii) 1 अक्टूबर, 2014 को और उसके पश्चात् विनिर्मित यानों के एम3 और एन3 प्रवर्ग"

[फा. सं. आरटी-11028/20/2006-एमवीएल]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणः—मूल नियम सा.का.नि. सं. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि. सं. 664 (अ), तारीख 27 सितम्बर, 2013 द्वारा किया गया ।

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th November, 2013

G.S.R.755(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 110 of Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public.

2. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period shall be considered by the Central Government.

3. Objections or suggestions, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2013.
(2) They shall come into force on the 1st October, 2014.
2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989 (hereinafter referred as the said rules), in rule 96, in sub-rule (9) ,—
(a) in clause (i), the expression "and N3" shall be omitted ;
(b) for clauses (ii), (iii) and (iv), the following clause shall be substituted, namely :—
“(ii) M3 and N3 categories of vehicles manufactured on and after the 1st October, 2014.”.

[F. No. RT-11028/20/2006-MVL]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

Note.—The principal rules were published vide number G.S.R. 590 (E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide number G.S.R. 664(E) dated the 27th September, 2013.